भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित** प्रश्‍न संख्‍या **53\***

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 14 दिसम्‍बर, 2018/23 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**कर्नाटक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना**

**53\***  **श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने मई, 2015 में एक वक्तव्य दिया था और उसी वक्तव्य को वर्ष 2016 में आयोजित ‘इनवेस्ट इन कर्नाटक’ नामक सम्मेलन के दौरान भी दोहराते हुए कहा था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी, बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु किसी एक स्थान का अंतिम चयन सुगम बनाने के लिए मंत्रालय को तीन स्थानों पर भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्‍तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन तथा रसायन और उर्वरक मंत्री**

 **(श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-: 2 :-

**‘’कर्नाटक में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना’’ के संबंध में 14.12.2018 को उत्‍तर देने हेतु राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.53\* के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

**----------**

**(क):** उपलब्‍ध रिकार्डों के अनुसार कर्नाटक राज्‍य में एक उर्वरक संयंत्र की स्‍थापना के संबंध में तत्कालीन माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। तथापि कर्नाटक सरकार द्वारा मुफ्त में भूमि देने की शर्त पर केन्‍द्र सरकार द्वारा कर्नाटक में उर्वरक संयंत्र की स्‍थापना हेतु ‘कर्नाटक में निवेश’ के दौरान तत्‍कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का कोई रिकार्ड उपलब्‍ध नहीं है।

**(ख) और (ग):** दिनांक 07 जनवरी, 2016 के अ.शा. पत्र द्वारा अपर मुख्‍य सचिव, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में उर्वरक फैक्‍ट्री की स्‍थापना हेतु तीन स्‍थल अर्थात् बीजापुर (मुलवाड़), धारवाड़ तालुक दावणगेरे (कुरूबराली) का सुझाव दिया था।

 बंगलूरू में 11.03.2016 को सचिव (उर्वरक) की अध्‍यक्षता में हुई बैठक के दौरान सचिव (उर्वरक) ने सूचित किया था कि भारत सरकार सीधे कोई व्‍यापार उद्यम आरम्‍भ नहीं करती है और परियोजनाओं को आरम्‍भ करने के लिए इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्‍तीय स्थिति अच्‍छी नहीं है। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि राज्‍य सरकार प्रथमत: या तो निजी क्षेत्र अथवा किसी राज्‍य पीएसयू से किसी ऐसे परियोजना प्रस्‍तावक की पहचान करे जो धनराशि लगा सके और परियोजना आरम्‍भ कर सके तथा भारत सरकार गैस आपूर्ति और अन्‍य संयोजकों आदि की सुविधा प्रदान करेगी। यह निर्णय लिया गया कि फैक्‍ट (फेडो) एक पूर्व-प्रारंभिक तथ्‍य पत्रक/संकल्‍पना नोट देगा जिसमें उठाए जाने वाले अगले कदमों की रूपरेखा होगी।

 राज्‍य सरकार की सहायता से कर्नाटक में विनिर्माण प्रचालनों के विस्‍तार के संबंध में फैक्‍ट द्वारा दिखाई गई प्रारम्‍भिक रूचि के आधार पर इस विभाग ने फैक्‍ट इंजीनियरिंग और डिजाइन ऑर्गनाइजेशन (फेडो) से कर्नाटक सरकार द्वारा उत्‍तरी कर्नाटक में इंगित तीन स्‍थलों अथवा उत्‍तरी कर्नाटक में किसी अन्‍य उपयुक्‍त स्‍थल में उर्वरक संयंत्र की स्‍थापना हेतु पूर्व-व्‍यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु कर्नाटक सरकार के संपर्क में रहने हेतु कहा था। तदनुसार, फेडो ने एक संकल्‍पना नोट तैयार किया था तथा कर्नाटक सरकार को प्रस्‍तुत किया था।

 श्री आर.वी. देशपांडे, माननीय मंत्री, कर्नाटक सरकार के दिनांक 13 मई, 2016 के अ.शा. पत्र के उत्‍तर में 30 जून, 2016 के अ.शा. पत्र द्वारा तत्‍कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री जी ने पुन: दोहराया था कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयंत्र के प्रचालन पर मौजूदा दरों के अनुसार राजसहायता मुहैया करने के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्‍वय द्वारा गैस की आपूर्ति को सुगम बनाते हुए सभी आवश्‍यक सहायता मुहैया कराई जाएगी तथा उन्‍हें फेडो द्वारा प्रस्‍तुत संकल्‍पना नोट पर उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधितों को निदेश देने और उपयुक्‍त परियोजना प्रस्‍तावक की शीघ्रता से पहचान करने का सुझाव दिया था।

 इसी बीच अग्रणी पीएसयू परिसंघ के संयुक्‍त उद्यमों के रूप में रामागुण्‍डम, तलचर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में 1.27 एमएमटी क्षमता प्रत्‍येक के पांच संयंत्र तथा निजी क्षेत्र में 2 संयंत्र तैयार किए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*\*\*